न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– ~~48/2018~~ 51/2019

हनुमान पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी छींड तन मैड पंचायत पुरावाला तहसील विराटनगर जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील प्रकरण संख्या 34/2019 निर्णय दिनांक 27/8/2019 नायब तहसीलदार तहसील विराटनगर अन्तर्गत धारा 91 काश्तकारी अधिनियम 1956 से पिडित होने पर ।

निर्णय दिनांक 26.11.19

अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 ब उनवान सरकार बनाम हनुमान में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर एक्ट के तहत् पारित निर्णय 27/8/2019 से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है, जिसके सारगर्भित तथ्य निम्नभांति पेश किये है।

1. यह है कि अपीलार्थी ग्राम छींड तहसील विराटनगर का रहने वाला है जाति गुर्जर है अनपढ और बुजुर्ग व्यक्ति है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। अपीलार्थी का आराजी ख.नं. 614/0.03 वाके ग्राम छींड गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण मानकर नायब तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 27/8/2019 को 3 माह के सिविल कारावास एवं लगान के पचास गुना 6/– रूपये के अर्द्वदण्ड से दंडित करने के आदेश पारित किये है, जबकि अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उक्त आराजी ख.नं. 614/0.03 में कोई भी जोत लगाकर अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि अपीलान्ट ने खेत से एक ओर रास्ता अपीलार्थी ने दे रखा है। अपीलार्थी का उपरोक्त रास्ते पर कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश की है वह सही रूप से पेश नहीं की है। यदि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से कब्जा है तो उसे रास्ते को खाली कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल दिनांक 09/9/2019 को मिलने से उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की है, जिसे श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से सुनने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2019 ब उनवान सरकार बनाम हनुमान में पारित निर्णय आदेश दिनांक 27/8/2019 को निरस्त फरमाया जावें।
2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट सग़ात पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नियमानुसार

Scanned with CamScanner

नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित आये।

3. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम छींड की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण में दिनांक 26/11/2019 को पेश की गयी, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।

4. बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम छींड की भूमि ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा ब उनवान सरकार बनाम हनुमान मु.नं. 34/2019 में निर्णय आदेश 27/8/2019 पारित कर अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व बेदखली एवं लगान का पचास गुना पैलन्टी आरोपित करते हुए तीन माह की सिविल कारावास के आदेश पारित किये है, जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा कोई जोत लगाकर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने जो अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश की है वह सही रूप से पेश नहीं की है बल्कि अपीलान्ट ने अपने खेत से एक ओर रास्ता दे रखा है। अपीलार्थी का उपरोक्त रास्ते पर कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व उक्त पारित आदेश को अपास्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

5. पैरोकार नायब तहसीलदार विराटनगर ने अपनी बहस में कथन किया है कि गैर सायल/अपीलान्ट का आराजी ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता पर मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मु. नं. 34/2019 ब उनवान सरकार बनाम हनुमान में दिनांक 27/8/2019 को निर्णय पारित किया है। वह विधि सम्मत है। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15/10/2019 को अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होना जाहिर करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी मुताबिक फर्द रिपोर्ट दिनांक 04/11/2019 के द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 614 के मौके से अतिक्रमण हटा लिया है तथा कोई अतिक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट पेश की है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण था इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सूबत एवं दस्तावेजों तथा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, अवलोकन करने एवं प्रस्तुत उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम छींड के आ.ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै. मु. रास्ते पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से कब्जा कर अतिक्रमण कर ना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मु.नं. 34/2019 ब उनवान सरकार बनाम हनुमान में पारित निर्णय आदेश 27/8/2019 के तहत् अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व बेदखली लगान का पचास गुना पैलन्टी तथा तीन माह के सिविल कारावास के सजा के आदेश पारित होना पाया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन कर जाहिर किया कि पटवारी हल्का ने धारा 91 के तहत् अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण बाबत जो रिपोर्ट पेश की है वह सही रूप से पेश नहीं की है । अतः गै.मु. रास्ते

Scanned with CamScanner

पर कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं होना दिनांक 15/10/2019 को जाहिर करने पर तहसीलदार विराटनगर से रिपोर्ट लेने पर नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04/11/2019 से ग्राम छींड की भूमि आराजी ख.नं. 614 से अतिक्रमण अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा हटा लिया है तथा कोई अतिक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट पेश की है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा पूर्व में उक्त आराजी गै.मु. रास्ते पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था, जिसको वर्तमान में हटा लिया गया है। चूँकि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 614 गै.मु. रास्ते पर से अतिक्रमण हटा लिया है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपाप्त करने एवं इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के समस्त आदेशों को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 34/2019 ब उनवान सरकार बनाम हनुमान पारित निर्णय आदेश 27/8/2019 में अपीलान्ट/गैर सायल के द्वारा आराजी ख.नं. 614/0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ते पर किये गये अतिक्रमण बाबत बेदखली व लगान के पचास गुना पैलन्टी आरोपित की गयी है उसे यथावत रखी जाती है तथा अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा उक्त आराजी से अतिक्रमण हटाने के उपरान्त वर्तमान में अपीलान्ट/गैर सायल का कोई अतिक्रमण नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को नरमी का रूख अपनाया जाकर अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार विराटनगर को तदनुसार निर्णय की पालना करने हेतु निर्णय की प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

8. यह निर्णय आज दिनांक 26.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner